

पं० दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन

अन्जू यादव , Ph.D.

Abstract

पं. दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के अविस्मरणीय स्तम्भों में से एक हैं। प्रस्तुत शोधप्रबन्ध के कुछ विशेष प्रसंगों में पं. दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा भारतीय संविधान में दोषों का अन्वेषण, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता, लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण, योजनाबद्ध तरीकों से आर्थिक विकास, धर्मनिरपेक्ष (लौकिक) राष्ट्रवाद की धारणा, एकात्म मानव वाद तथा भारतीय धर्म के सन्दर्भ में 'नवीन विचार' बिन्दुओं का चयन किया गया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के पूरक के रूप में ही एक नवीन विचार 'एकात्म मानव-वाद' का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार भारतीय राजनीति, जातिवाद व सम्प्रदाय वाद ने विशेष स्थिति प्राप्त कर ली है। विभिन्न धर्मों में राजनीतिक उदारता के साथ एक विशेष प्रकार की संकीर्णता भी है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के चरम लक्ष्य (स्वर्ग, मोक्ष आदि) की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है और यह मार्ग केवल वही है, जो उनके प्रवर्तक या पैगम्बर ने दिया है। परन्तु भारतीय धर्म इससे भिन्न है। उनका न तो कोई आदि प्रवर्तक है और न ही केवल एक पवित्र ग्रन्थ है जिनको वह एकमात्र प्रमाण मानें। इसीलिए उन्होंने इसे 'एकात्म मानव-वाद' का नाम दिया। यद्यपि सम्प्रदायों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रमुख नीतियों में भारतीय राजनीति आज भी उदार है। स्पष्ट है कि यह साम्प्रदायिक दृष्टि नहीं है। भारतीय राजनीति में सभी धर्मों का समान स्थान है और सबके लिये न्यायपूर्ण है। भारतीय राजनीति में किसी धर्म के विरुद्ध प्रचार नहीं होना चाहिये। भारतीय राजनीति समन्वयवादी तथा एकता का प्रतीक है।

पारिभाषिक शब्दावली: राजनीतिक समस्याएँ, विकास योजना, ऐहिकवादी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय विकास।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध प्ररचना : शोध अध्ययन की प्रकृति के अनुरूप शोध कार्य को को सम्पादित करने के लिए पूर्णतः द्वितीयक तथ्यों पर आधारित वर्णनात्मक शोध प्ररचना को चुना है, जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन पध्दति को समावेशित किया गया है, ताकि अध्ययन की प्रस्तुति सरल किन्तु तार्किक रूप में की जा सके।

विवेचना: पं. दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार इतिहास एक निरन्तर गतिमान प्रवाह तथा सामाजिक घटनाक्रम है, इसलिए इस बात को गत्यात्मक ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही समझा जा सकता है। विश्व में कोई वस्तु स्थिरता की अवस्था में नहीं है। पं. दीनदयाल उपाध्याय को राजनीति व इतिहास की भौतिक व्याख्या में विश्वास था। पं. दीनदयाल उपाध्याय मानते

थे कि पूँजीवाद के विकास की सम्भावनाएँ समाप्त हो चुकी हैं।^[1] एकाधिकार की वृद्धि ने पूँजीवाद के प्रसारवादी शिकंजे को और भी अधिक मजबूत बना दिया है। मानव जाति को युद्ध की व्यापक विभीषिका तथा संकटों से बचाने का एकमात्र उपाय वैज्ञानिकसमाजवाद को अंगीकार करना है। उन्होंने कहा 'मार्क्स का कहना केवल यह था कि कोई विचार इतिहास के क्रम को तभी प्रभावित कर सकता है जब वह वास्तविकता का रूप धारण कर ले और इस प्रकार स्वयं एक वस्तु बन जाय। उसने मानस तथा द्रव्य के सापेक्ष महत्व का कहीं विवेचन नहीं किया है। दोनों का समान महत्व है। मनुष्य वस्तुगत परिस्थिति के बिना स्वतन्त्र रूप से किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, और न कोई वस्तुगत परिस्थिति तब तक मानव द्वारा वांछित फल उत्पन्न कर सकती है जब तक कि मनुष्य स्वयं उसमें सक्रिय भाग न ले। उसने इस पद (**द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद**) का प्रयोग केवल इसलिए किया है जिससे उसकी पद्धति तथा हीगल के प्रत्ययवाद के बीच, जो आनुभविक जगत की सत्ता से इन्कार करता तथा केवल एक निरपेक्ष प्रत्यय को अंगीकार करता है, भेद स्पष्ट हो जाय। कार्ल मार्क्स इस बात को स्वीकार करता है कि इतिहास के विकास में अनेक कारण कार्य करते हैं। कार्ल मार्क्स ने सदैव यह स्वीकार किया कि जो वस्तु मूलतः किसी अन्य वस्तु से व्युत्पन्न होती है उसमें स्वयं एक स्वतन्त्र कारण बन जाने की क्षमता भी विद्यमान रहती है। अतः यह कहना असत्य है कि मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास का केवल एक ही कारण माना।^[2] इस प्रकार पं. दीनदयाल उपाध्याय ने यह माना कि उत्पादन की व्यवस्था पर गैर आर्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। किन्तु पं. दीनदयाल उपाध्याय की यह धारणा सही नहीं है कि मार्क्स द्रव्य तथा मानव दोनों को समान महत्व देता था। वे इतिहास की मार्क्सवादी एकत्ववादी धारणा को देकार्त की द्वैतवादी भाषा में व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मार्क्स के अनुसार भौतिक वास्तविकता तथा चेतना, इन दोनों में से पहली वस्तु निस्सन्देह प्राथमिक तथा आधारभूत है। पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक चिन्तन तो वस्तुतः मार्क्स के मूल राजनीतिक सिद्धान्त का संशोधन है।^[3]

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि - 'देश में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिकाधिक द्रुत गति से कार्य कर रही

है जिसके परिणामस्वरूप उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकाधिक अंग राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक होते जा रहे हैं। नये वर्गों का निर्माण हो रहा है और वे बहुसंख्यक जनसमुदाय से अलग हो रहे हैं।हमारा कर्तव्य है कि उस एकता के लिए जिसका कोई आधार नहीं है, का विलाप करना छोड़ दें और उन तरीकों को ढूँढ़ निकालें जिससे राष्ट्रीय संघर्ष, जो अब तक प्रधानतः मध्य वर्ग का आन्दोलन रहा है, अधिक तीव्र बनाया जा सके। मेरी भावना है कि इसका एकमात्र उपाय यह है कि जनसमुदाय को आर्थिक आधार तथा वर्ग चेतना की बुनियाद पर संगठित करके आन्दोलन को अधिक व्यापक रूप प्रदान किया जाय। प्रचार तथा संगठन ही ऐसे दो साधन हैं जिसके द्वारा किसी वर्ग को आत्मसचेत बनाया जा सकता है।^[4]

पं. दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि साधारण जनसमुदाय अनुल्लंघनीय अधिकारों तथा लोक प्रभुत्व के सामान्य सिद्धान्तों से आकृष्ट नहीं हो सकता। उसमें वर्ग चेतना तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि उससे आर्थिक हितों की भाषा में बात की जाय। समाजवादी क्रान्ति के सम्बन्ध में यह अनिवार्य नहीं है कि समाजवादी क्रान्ति पहले उस देश में हो जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है, वह तो उस देश में होगी, 'जहाँ साम्राज्यवादी श्रृंखला सबसे दुर्बल है।' श्रमिक वर्ग को साम्राज्य विरोधी संघर्ष की अग्रगामी टुकड़ी तथा किसानों और बुद्धिजीवियों को उसका सहायक मानते थे। उन्हें कोरे सुधारवाद और संविधानवाद से सहानुभूति नहीं थी। उनका कहना था कि जनसमुदाय को क्रियाशील बनाने तथा देश को लोकतंत्र के लिए तैयार करने का एकमात्र उपाय यह है कि किसी लोकहितकारी आर्थिक विचारधारा को अंगीकार करके राष्ट्रीय संग्राम का समाजीकरण किया जाय।^[4]

निष्कर्ष: पं. दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में ऐहिकवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे पुनरुत्थानवादी नहीं थे। उनका ऐहिकवाद धार्मिक स्वाध्याय के प्रति उदासीनता से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि उसका आधार उनका यह विश्वास था कि धर्मशास्त्रीय तथा लोकोत्तरवादी विचारों को बुद्धियुक्त सामाजिक नियोजन में बाधक नहीं होना चाहिए। जबकि गाँधी जी को संविधानवाद और संवैधानिक सुधारों के द्वारा विकास में विश्वास था लेकिन पं. दीनदयाल उपाध्याय इसके विरोधी थे। इसलिए आपने संविधान में दोषों का खोजना आरम्भ किया; और पाया कि भारतीय संविधान में अनेक दोष व्याप्त हैं।

यथा: (1) नारी पिछड़ेपन तथा दुर्दशा की शिकार हैं; (2) नारी उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधानों का अभाव है; (3) साँस्कृतिक पिछड़ापन है; (4) लिंग भेद तथा जाति व्यवस्था समाज के विकास में बाधक हैं जब तक समाज में जाति व्यवस्था बनी रहेगी तब तक समाज में वास्तविक न्याय और शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती; (5) लोकतांत्रिक समाजवाद की सफलता के लिए जातिवहीन सामाजिक संरचना अनिवार्य व आवश्यक है; (6) उद्योगों के समाजीकरण के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है यहाँ तक कि समाज कल्याण के लिए भी कोई विशेष संवैधानिक प्रावधान नहीं है; (7) उद्योग के प्रबन्ध मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी अधिनियम नहीं है; (8) किसी की सम्पत्ति को कोई अथवा सरकार जप्त न कर सके, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान होना चाहिए; उन्हें राष्ट्र निर्माण की धारा में जोड़ने के लिए शैक्षिक उन्नयन की आवश्यकता है जिसके लिए भारतीय संविधान में विशेष अधिनियमों/प्रावधानों का अभाव है, इस संवैधानिक दोष को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने नारियों के लिए शिक्षा, समग्र समाज हेतु शिक्षा, साक्षरता अभियानों, मानवतावाद, दबाव रहित समाज तथा लिंग विभेद समाप्त करने की जीवनपर्यन्त कालात की ताकि भारतीय नारी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें।

संदर्भ

सरन आर० : (2009) - इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एमिनेन्ट थिन्कर्स; एक्सिस प्रकाशन, दिल्ली ।

सिंह एन० : (2010) - पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ पं. दीनदयाल उपाध्याय; राखी प्रकाशन, आगरा।

वर्मा प्रदीप : (2012) - पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक चिन्तन; कोमल प्रकाशन, जयपुर।

पाठक वीरेन्द्र : (2015) - पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन; प्रज्ञा प्रकाशन, मथुरा।

राही जितेन्द्र : (2015) - पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय; क्रेसेण्ट पब्लिशिंग, नॉएडा।